न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 42/2020
दायर दिनांक :– 25.09.2020

अनवान

1. श्री चारभुजा जी भगवान नाबालिग बजरिये पुजारी श्यामलाल पिता नन्दा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मेवासा तहसील जहाजपुर
2. श्री चारभुजा जी भगवान नाबालिग बजरिये पुजारी रामपाल पिता बालू जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मेवासा तहसील जहाजपुर ।
3. श्री चारभुजा जी भगवान नाबालिग बजरिये पुजारी राजेश पिता सुवा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मेवासा तहसील जहाजपुर
4. श्री चारभुजा जी भगवान नाबालिग बजरिये पुजारी दीपक पिता सुवा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मेवासा तहसील जहाजपुर
5. श्री चारभुजा जी भगवान नाबालिग बजरिये पुजारी कालूराम पिता लादू जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मेवासा तहसील जहाजपुर
6. श्री चारभुजा जी भगवान नाबालिग बजरिये पुजारी छोटू पिता लादू जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मेवासा तहसील जहाजपुर
7. श्री चारभुजा जी भगवान नाबालिग बजरिये पुजारी छोतर पिता नाथू जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मेवासा तहसील जहाजपुर
8. श्री चारभुजा जी भगवान नाबालिग बजरिये पुजारी शंकर पिता नाथू जाति खटीक निवासी मेवासा तहसील जहाजपुर

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. शिवराज सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत निवासी टीटोडा जागीर तहसील जहाजपुर
2. दुर्गालाल पिता भूरा जाति प्रजापत निवासी टीटोडा जागीर तहसील जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री फारूख अली, एडवोकेट प्रार्थी
3. श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

दिनांक31.08.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम मेवासा पटवार हल्का टीटोडा जागीर तह. जहाजपुर की आ. सं. 145/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा आराजी खसरा सख्या 145/2 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कृषि आराजी वर्तमान भू राजस्व अभिलेखो मे श्री चारभुजानाथ जी भगवान के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अकित है। जिसके वादीगण पुजारी है। वादीगण श्री चारभुजानाथ जी भगवान की लगातार पूजा चाकरी करते चले आ रहे है एव वादीगण उक्त भगवान के नाम दर्ज उक्त भुमि पर बतौर पूजारी कास्तकार की हैसियत से काबिज हो कास्त एव उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात भगवान श्री चारभुजानाथ के नाम के साथ खडमदार पूजारी के तौर पर प्रार्थीगणो के पुर्वज पांचीय पिता भूरा खटीक का नाम मेवाड सेटलमैन्ट पानडी मे सम्वत् 2008 दर्ज था। पांचीया जी के पुर्व से ही उक्त भुमि पर बतौर पूजारी की हैसियत से प्रार्थीगण के पुर्वज एव उनके उपरान्त प्रार्थीगण काबिज हो पूजारी के तौर पर कास्त एव पूजा चाकरी करते चले आ रहे है। स्वर्गीय पांचीया जी के परिवार का साजरा निम्न प्रकार है।

पांचीया पिता भूरा खटीक

- नन्दा
  - श्यामलाल
- बालू
  - रामपाल
- लादू
  - सुवा
    - राजेश
    - दीपक
  - कालूराम
  - छोटू
- नाथू
  - छीतर
  - पप्पू
  - शंकर

उक्त वर्णित आराजी भगवान श्री चारभुजानाथ के नाम दर्ज है। श्री चारभुजानाथ भगवान की सेवा चाकरी पूजा आदि सम्पुर्ण कार्य हमारे पुर्वज एव हमारे पूर्वजो की मृत्यु उपरान्त हम प्रार्थीगण ही पूजा सेवा चाकरी एव उक्त आराजी पर बतौर कास्त कर अपना जीवन यापन करते चले आ रहे है। हम प्रार्थीगण पूजारी है एव श्री चारभुजानाथ कि उक्त आराजी को हम पूजारी के तौर पर बतौर पूजारी के तौर पर कास्त कर अपना जीवन यापन एव उक्त आराजी की आय से श्री चारभुजानाथ की सेवा चाकरी देखरेख आदि का खर्चा भी उक्त आराजीयात से होने वाली आय से निरन्तर करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण ग्राम टीटोडा जागीर के व्यक्ति होकर हम प्रार्थीगणो से ईर्ष्या रखते है। और अकारण ग्रामवासियो को हमारे खिलाफ भडकाते रहते है कहते है कि भगवान चारभुजानाथ का पूजारी एक नीच जाति का व्यक्ति नही हो सकता है। इन्हे पूजारी के तौर पर हटाया जाऐ साथ ही प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित भुमि जो प्रार्थीगणो के कब्जे कास्त मे बतौर पूजारी के तौर पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उन्हे उक्त भुमि से जबरन बेदखल करके हटाया जाऐ। और हम अप्रार्थीगणो को बतौर पूजारी के तौर पर नियुक्त किया जाकर उक्त आराजीयात हमारे कब्जे मे बतौर पूजारी के तौर पर दिया जाए। अप्रार्थीगण प्रार्थीगणो को जबरन शक्ति के बल पर प्रार्थना पत्र मे वर्णित भुमि पर से पूजारी कास्तकार के तौर से

सहायक ... जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

हटा कर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जबकि अप्रार्थीगण ना तो पूजारी है ना ही उक्त भुमि पर उन्होने कभी कास्त आदि की ना ही कभी भगवान की पूजारी के तौर पर सेवा चाकरी की। हम प्रार्थीगण भगवान चारभुजानाथ जी के पूजारी की हैसियत से परम्परागत रूप से पुजारी के पद पर भगवान चारभुजानाथ कि पूजापाठ चाकरी देखरेख आदि निर्विध्न तौर पर वर्षों से करते चले आ रहे है। जबकि अप्रार्थीगण जबरन हमारी पूजा सेवा चाकरी मे जबरन दखलदाजी करके हमे पूजा चाकरी से जबरन हटा कर हमारी पूजा के विधिक अधिकारी का हनन करने पर आमादा है। एव साथ ही प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित आराजीयात जिस पर हम काबिज हो उपयोग उपभोग पूजारी कि बहैसियत के तौर पर करते चले आ रहे है मे से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। इस बाबत आये दिन लडाई झगडा करते रहते एव गाली गलौच करते एव मरने मारने पर आमादा होते है। और धमकी देते है कि उक्त आराजी पर हम जबरन कब्जा करके राजस्व अधिकारीयो से मिलीभगत करके तुम्हे बेदखल कर हम जबरन कब्जा करके हमारे नाम 91 बनवा लेगे ताकि तुम हमारा कुछ भी नही कर पाओगे। अप्रार्थीगण दिनांक 20.09.2020 को प्रार्थना पत्र की चरण सख्या एक मे वर्णित आराजीयात पर आये और जबरन आराजीयात मे घुसकर हम प्रार्थीगणो को धमकी देने लगे कि उक्त आराजी को खाली कर दो इस पर हम जबरन कब्जा करेगे अगर नही माने तो जान से हम प्रभावशाली व्यक्ति है। इस आराजीयात पर जबरन शक्ति के बल पर कब्जा करके तुम्हे बेदखल कर कब्जा कर लेगे अगर आराजीयात पर नजर आये तो जान से खत्म कर देगे उक्त दिनांक से वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अप्रार्थीगण जबरन शक्ति के बल पर प्रार्थीगणो को जबरन बेदखल कर शक्ति के बल पर कब्जा करने पर आमादा है। जबकि वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण जो भगवान श्रीचारभुजानाथ जी भगवान के बतोर पुजारी के तोर पर उपयोग उपभोग करते चले रहे है। उक्त आराजीया तमे कास्त करके प्रार्थीगण भगवान की पूजा एव देरखरेख एव रोजमर्रा की सामग्री मे खर्चा करते हे साथ ही अपना जीवन यापन करते है। अप्रार्थीगण जबरन अपने परिजनो एव अन्य व्यक्तियो के साथ मिलकर प्रार्थीगणो को डोली की भूमि पर जबरन शाक्ति के बल पर अप्रार्थीगणो को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। अगर अप्रार्थीगण जबरन शाक्ति के बल पर प्रार्थीगणो को उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग मे अप्रार्थीगणा शक्ति के बल पर वचित कर कब्जा कर लेते है तो प्रार्थीगणो को अपूरणीय क्षति कारित होगी अप्रार्थीगणो को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना निहायत आवश्यक एव न्यायोचित है। प्रार्थीगणो का प्रथम दृष्टया प्रकरण हो सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगणो के पक्ष मे है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगणो को उपयोग उपभोग से वंचित कर देते है तो प्रार्थीगणो को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपुर्ति का मुल्याकन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगणो के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण प्रार्थीगणो जबरन बेदखल कर कब्जा न करे ना करावे ना ही प्रार्थीया के कब्जे कास्त उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार से दखलदाजी करे। मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिती बनाये रखने बाबत् इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की और से श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया गया। जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण की और से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कभी भी पुजारी नही रहा है और नही कभी उसके पूर्वज चारभूजा नाथ के पुजारी रहे है वर्तमान मे मुकेश पिता रामपाल बैरागी निवासी अडीमल जी का खेड़ा श्री चारभुजा नाथ की सेवा पूँजा कर रहा है और वही वर्तमान मे उक्त चारमूजा नाथ मंन्दिर का पुजारी है। उक्त कृर्षी भुमि की पुजारी ने गाँव वालो की सहायता से ग्राम मेवासा पटवार हल्का टिठोडा जॉगीर के खसरा संख्या 145/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , खरा संख्या 145/2 रकबा 17 बिस्वा की पत्थरगढ़ी कराने बाबत श्रीमान के न्यायालय से आदेश पारित हुआ, लेकिन प्रार्थी ने जानबुझकर उक्त अवैध कब्जे को नही छोडने बाबत् गलत तथ्यो पर मान्य न्यालय से स्थगन प्राप्त कर लिया जो निश्चित रूप से खारीज करने योग्य है। प्रार्थी कभी चारभूजा नाथ मन्दिर मेवासा का पूजारी था ही नही व नही है प्रार्थना पत्र गलत व झुठे तथ्यों पर आधारित है इस लिए प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया प्रकरण नही है सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे नही है प्रार्थी ने जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर रखा है। ग्राम मेवासा प0ह0 टिठोडा जॉगीर मे संख्या संख्सा 145/1, 145/2 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कृर्षी भूमि श्री चारभुजा जी भगवान के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है और वर्तमान मे मुकेश पिता रामपाल जी बैरागी निवासी अडीमल जी का खेड़ा निरन्तर सेवा पूँजा चाकरी कर रहा है और भगवान पूजा अर्चना करने के लिए ग्राम मेवासा मे ही निवास कर रहा है उक्त कृर्षी भूमि प्रार्थी श्याम लाल व अन्य प्रार्थीगणो ने अपनी शक्ति के बल पर अवैध कब्जा कर रखा है गाँव वालो ने उक्त चारभूजा नाथ की जमीन से अवैध रूप से कब्जा हटाने के लिए निवेदन किया तो सभी प्रार्थीगणो श्याम लाल, रामपाल, राजेश, दीपक, कालुराम, छोट, छीतर, शंकर लाल ने उक्त जमीन से कब्जा नही हटाने के लिए कहाँ और गाँव वालो को धमकिया दी की मै सभी व्यक्तियो को एस सी एस टी एक्ट मे झुठे मामले मे उलजा देगे तुम्हारी जमानत भी नही होने देगे। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हरजे खर्चे खारीज फरमावे।

हमने वकील उभयपक्षों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान बताया कि उपरोक्त विवादित आराजियात वर्तमान भू राजस्व अभिलेखो मे श्री चारभुजानाथ जी भगवान के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अकित है। जिसके वादीगण पुजारी है। वादीगण उक्त भगवान के नाम दर्ज उक्त भुमि पर बतौर पूजारी की हैसियत से काबिज हो कास्त एव

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात के रिकोर्ड में भगवान श्री चारभुजानाथ के नाम के साथ खडमदार पूजारी के तौर पर प्रार्थीगणो के पुर्वज पांचीया पिता भूरा खटीक का नाम मेवाड सेटलमैन्ट पानड़ी मे सम्वत् 2008 दर्ज था। श्री चारभुजानाथ भगवान की सेवा चाकरी पूजा आदि सम्पूर्ण कार्य हमारे पूर्वज एव हमारे पूर्वजो की मृत्यु उपरान्त हम प्रार्थीगण ही पूजा सेवा चाकरी एव उक्त आराजी पर बतौर कास्त कर अपना जीवन यापन करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण ग्राम टीटोडा जागीर के व्यक्ति होकर हम प्रार्थीगणो से ईर्ष्या रखते है। और अकारण ग्रामवासीयो को हमारे खिलाफ भडकाते है कि भगवान चारभुजानाथ का पूजारी एक नीच जाति का व्यक्ति नही हो सकता है। इन्हे पुजारी के तौर पर हटाया जाये। जबकि अप्रार्थीगण न तो पुजारी है न ही उक्त भुमि पर उन्होने कभी काश्त आदि की ना ही कभी भगवान की पुजारी के तौर पर सेवा चाकरी की। जवकि अप्रार्थीगण जबरन हमारी पूजा सेवा चाकरी मे जबरन दखलदाजी करके हमे पूजा चाकरी से जबरन हटा कर हमारी पूजा के विधिक अधिकार का हनन करने पर आमादा है। प्रार्थीगणो का प्रथम दृष्टया प्रकरण हो सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगणो के पक्ष मे है। अगर अप्रार्थीगण वर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगणो को उपयोग उपभोग से वचित कर देते है तो प्रार्थीगणो को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपुर्ति का मुल्याकन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगणो के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावे।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान बताया कि प्रार्थी कभी भी पुजारी नही रहा है और न ही कभी उसके पूर्वज चारभूजा नाथ के पुजारी रहे है वर्तमान मे मुकेश पिता रामपाल बैरागी निवासी अडीमल जी का खेड़ा श्री चारभुजा नाथ की सेवा पूँजा कर रहा है और वही वर्तमान मे उक्त चारमूजा नाथ मंन्दिर का पुजारी है। उक्त कृषी भुमि की पुजारी ने गाँव वालो की सहायता से ग्राम मेवासा पटवार हल्का टिठोडा जॉगीर के खसरा संख्या 145/1 रक़बा 1 बीघा 5 बिस्वा , खरा संख्या 145/2 रकबा 17 बिस्वा की पत्थरगढ़ी का आदेश पारित हुआ, लेकिन प्रार्थी ने जानबूझकर उक्त अवैध कब्जे को नही छोडने बावत् गलत तथ्यो पर मान्य न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया जो निश्चित रूप से खारीज करने योग्य है। प्रार्थी कभी चारभूजा नाथ मन्दिर मेवासा का पुजारी नही था और अभी भी नही है प्रार्थना पत्र गलत व झुठे तथ्यों पर आधारित है इसलिए प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया प्रकरण नही है सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे नही है प्रार्थी ने जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर रखा है। ग्राम मेवासा प0ह0 टिठोडा जॉगीर मे खसरा संख्या 145/1, 145/2 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कृषी भूमि श्री चारभुजा जी भगवान के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है और वर्तमान मे मुकेश पिता रामपाल जी बैरागी

कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

निवासी अडीमल जी का खेड़ा निरन्तर सेवा पूँजा चाकरी कर रहा है और भगवान पूजा अर्चना करने के लिए ग्राम मेवासा मे ही निवास कर रहा है उक्त कृषी भूमि प्रार्थी श्याम लाल व अन्य प्रार्थीगणो ने अपनी शक्ति के बल पर अवैध कब्जा कर रखा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हरजे खर्चे खारीज फरमावे।

वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि उनके पूर्वज पांचीया पुत्र भुरा खटीक को श्री चारभुजा जी स्थान की पूजनार्थ मेवाड सेटलमेंट डिपार्टमेंट द्वारा पानडी दी गई थी, एवं प्रार्थीगण पांचीया के वारिस होकर वर्तमान में विवादित आराजी का बतौर पुजारी उपयोग उपभोग कर पूजा कर रहे हैं। पत्रावली में प्रस्तुत पानडी की प्रतिलिपि अनुसार पांचीया पुत्र भुरा खटीक को श्री चारभुजा जी स्थान की पूजनार्थ मेवाड सेटलमेंट डिपार्टमेंट द्वारा पानडी दी गई है। एवं प्रार्थीगण पांचीया के वारिस है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों के पुजारी नहीं होने एवं मुकेश पिता रामपाल बैरागी के पुजारी होने के संबध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए गए है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने एक सदभावी केस प्रस्तुत किया है, जिसका विचारण उपरांत निर्णय किया जायेगा। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया गया है। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो यथास्थिति बनी रहेगी। एवं अप्रार्थीगण को कोई विशेष क्षति नहीं होगी, क्यो कि अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया है की उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अप्रार्थीगण उन्हे बेदखल कर देगे। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है, अतः न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. स्वीकार किया जाकर ग्राम मेवासा पटवार हल्का टीटोडा जागीर तह. जहाजपुर की आ. सं. 145/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा आराजी खसरा सख्या 145/2 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा में मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner